चित्रकूट-पुलिस

(1). गुटखा व्यापारियों के साथ हुयी लूट की घटना का सफल अनावरण
04 लुटेरे गिरफ्तार
लूट के 02 लाख 20 हजार रुपये, घटना में प्रयुक्त 02 बाइक, अवैध तमंचा कारतूस व चाकू बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस प्रभारी श्री एम.पी. त्रिपाठी एवं प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह तथा उनकी टीम द्वारा दिनाँक 25.05.2024 को कल्याणपुर के जंगलों में गुटखा व्यापारियों के साथ हुयी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये लूट की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तों को लूट के 02 लाख 20 हजार रुपये, घटना में प्रयुक्त 02 बाइक, अवैध तमंचा कारतूस,चाकू, व्यापारी के मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

1.नारायण कुमार गुप्ता उर्फ छोटू पुत्र स्व0 विजय कुमार गुप्ता निवासी ग्राम वीरपुर मजरा झखौरा थाना धारकुण्डी जनपद सतना मध्य प्रदेश
2.यासीन हसन उर्फ हसीन पुत्र नूरुल हसन निवासी घोघर कन्या पाठशाला के पास कस्बा व थाना सिटी कोतवाली रीवा जनपद रीवा मध्य प्रदेश
3.रविकान्त यादव पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी ग्राम सेलौरा मजरा झखौरा थाना धारकुण्डी जनपद सतना मध्य प्रदेश
4.अयूब खान उर्फ राहत पुत्र जुम्मन खान निवासी मोहल्ला निपनिया कस्बा व थाना सिटी कोतवाली रीवा जनपद रीवा मध्य प्रदेश

<u>अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-</u>

<u>अभियुक्त नारायण आपराधिक इतिहास –</u>

1.मु0अ0सं0 44/18 धारा 364ए/120बी/363 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट व 11/13 एण्डी डकैती एक्ट थाना धारकुण्डी सतना म0प्र0
2.मु0अ0सं0 105/2024 धारा 394/411/120बी भादवि0 थाना मानिकपुर
3.मु0अ0सं0 108/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त यासीन हसन उर्फ हसीन</u>

1.मु0अ0सं0 695/2016 धारा 294/323/324/506/34 भादवि सिविल लाइन रीवा
2.मु0अ0सं0 643/2017 धारा 25 आर्मस एक्ट व 294/307/323/324/34 भादवी रीवा कोतवाली
3.मु0अ0सं0 349/2019 धारा 323/34/354/506 भादवि व 7/8 पाक्सो अधिनियम रीवा कोतवाली
4.मु0अ0सं0 523/19 धारा 356/379 भादवि सिविल लाइन रीवा
5.मु0अ0सं0 607/19 धारा 294/323/506/34 भादवि सिविल लाइन रीवा
6.मु0अ0सं0 847/2019 धारा 294/323/327/34/506 भादवि रीवा कोतवाली
7.मु0अ0सं0 909/2019 धारा 356/379/392 भादवि सिविल लाइन रीवा
8.मु0अ0सं0 184/2020 धारा 392 भादवि सिविल लाइन रीवा
9.मु0अ0सं0 247/2020 धारा 294/323/324/327/506/34 भादवि अमहिया रीवा
10.मु0अ0सं0 385/2020 धारा 392 भादवि सिविल लाइन रीवा
11.मु0अ0सं0 722/2021 धारा 147/148/294/323/327/427/452/506 भादवि रीवा कोतवाली
12.मु0अ0सं0 113/2022 धारा 380/457 भादवि रीवा कोतवाली
13.मु0अ0सं0 148/2022 धारा 201/302/34/394 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट विश्वविद्यालय रीवा
14.मु0अ0सं0 368/2022 धारा 25 आर्मस एक्ट कोतवाली रीवा

15.मु0अ0सं0 105/2024 धारा 394/411/120बी भादवि0 थाना मानिकपुर
16.मु0अ0सं0 108/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अयूब खान

1.मु0अ0सं0 643/2017 धारा 25(2) आर्म्स एक्ट व 294/307/323/324/34 भादवि रीवा कोतवाली
2.मु0अ0सं0258/21 धारा 324/34 भादवि सिविल लाइन रीवा
3.मु0अ0सं0 637/23 धारा 294/323/506/34 भादवि सिविल लाइन रीवा
4.मु0अ0सं0 722/2021 धारा 147/148/294/323/327/427/452/506 भादवि रीवा कोतवाली
5.मु0अ0सं0 368/2022 धारा 25(2)/27 आयुध अधिनियम व 399/402 भादवि रीवा कोतवाली
6.मु0अ0सं0 158/23 धारा 149/294/307 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट अमहिया रीवा
7.मु0अ0सं0 216/24 धारा 25(2) आयुध अधिनियम अमहिया रीवा
8.मु0अ0सं0 105/2024 धारा 394/411/120बी भादवि0 थाना मानिकपुर

बरामदगीः-

1.लूट के 02 लाख 20 हजार रुपये
2.घटना में प्रयुक्त 02 बाइकें
3.एक तमंचा 315 बोर व 03 कारतूस 315 बोर
4.एक चाकू
5.वादी का लूटा हुआ की-पैड मोबाइल

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

डाडी कोलान तिराहा, थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट ,दिनाँक 02.06.2024 की रात समय 22.45 बजे

सक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 25.05.2024 को हंसराज केसरवानी पुत्र गोविन्द प्रसाद केसरवानी निवासी आर्य नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट ने थाना मानिकपुर में सूचना दी थी कि वह अपने साथी दिलीप केसरवानी पुत्र स्व0 चन्द्रिका प्रसाद केसरवानी निवासी सुभाष नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के साथ प्रतिदिन के भांति कल्याणपुर के जंगल से धारकुण्डी रोड होकर वीरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0 से गुटखा लेने जा रहे थे कि कल्याणपुर के जंगल में 02 बाइकों पर सवार 04 बदमाश उनसे कुल 03 लाख 43 हजार रुपये छीन कर ले गये हैं। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 105/2024 धारा 394 भादवि0 बनाम अज्ञात 04 व्यक्ति पंजीकृत किया गया था। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। घटना के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक मानकिपुर, एसओजी एवं सर्विलांस की टीम को लगाया गया था।

दिनाँक 02.06.2024 को रात्रि में करीब 22.45 बजे डाडी कोलानी तिराहा के पास से प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर एवं प्रभारी एसओजी/सर्विलांस एवं उनकी टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुये सुरागरसी-पतारसी तथा पारम्परिक श्रोतों से विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.नारायण कुमार गुप्ता उर्फ छोटू पुत्र स्व0 विजय कुमार गुप्ता निवासी ग्राम वीरपुर मजरा झखौरा थाना धारकुण्डी जनपद सतना मध्य प्रदेश 2.यासीन हसन उर्फ हसीन पुत्र नूरुल हसन निवासी निवासी घोघर कन्या पाठसाला के पास कस्बा व थाना सिटी कोतवाली रीवा जनपद रीवा मध्य प्रदेश 3.रविकान्त यादव पुत्र स्व0 सीताराम यादव निवासी ग्राम सेलौरा मजरा झखौरा थाना धारकुण्डी जनपद सतना मध्य प्रदेश 4. अयूब खान उर्फ राहत पुत्र जुम्मन खान निवासी मोहल्ला निपनिया कस्बा व थाना सिटी कोतवाली रीवा जनपद रीवा मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 02 लाख 20 हजार रुपये, घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल होण्डा डीलक्स नं0 MP 19 NF 4632 व मोटर साईकिल अपाचे नं0 MP 19 MZ 2229 लाल रंग, 01 अदद तमंचा 315 बोर व 03 अदद कारतूस 315 बोर, 01 अदद चाकू, वादी को की-पैड मोबाइल फोन, 02 आधार कार्ड बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्तों के कड़ाई से पूंछतांछ की गयी तो बताया कि हमने अपने एक अन्य साथी के साथ लूट की घटना बनायी थी तथा घटना को अंजान देकर हम लोगो दो मोटरसाइकिल से अलग-अलग दिशाओं में चले गये थे जिससे कोई हमारा सुराग न लगा सके तथा लूट के रुपये हम लोगों ने आपस में बांट लिये थे जिसमें से हम लोगों ने कुछ रुपये खर्च कर दिये हैं, बस 02 लाख 20 हजार रुपये ही बचें है। लूट के रुपये, आधार कार्ड, वादी का मोबाइल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411,120बी भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। अवैध तमंचा कारतूस तथा चाकू बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 108/2024 धारा 3/25,4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना मानिकपुर टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह
2.निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव
3.उ0नि0 श्री मुकेश सिंह परिहार
4.उ0नि0 श्री रामेश्वर प्रसाद
5.उ0नि0 श्री राजोल नागर
6.उ0नि0 यूटी0 पवन चौधरी
7.आरक्षी दीपक कुमार
8.आरक्षी कमलेश कुमार
9.आरक्षी प्रमोद पासवान
10.महिला आऱक्षी अंशु सैनी

एसओजी/सर्विलांस टीमः-

1.निरीक्षक श्री एम.पी त्रिपाठी
2.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार
3.आरक्षी रोहित सिंह
4.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
5.आरक्षी रोशन
6.आरक्षी राघवेन्द्र
7.आरक्षी गोलू भार्गव

(2). हत्या की घटना खुलासा
04 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा दिनाँक 06.05.2024 को थाना राजापुर अन्तर्गत तीरमऊ में बरामद अज्ञात महिला के शव के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की घटना का खुलासा करते हुये घटना कारित करने वाले तथा घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.रोहित निषाद पुत्र संतराम उम्र 20 वर्ष निवासी टिकरा मजरा सिरावल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
2.दुर्गा प्रसाद पुत्र कुँवरवां उम्र 72 वर्ष निवासी टिकरा मजरा सिरावल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
3.मैकू पुत्र रामभरोसे उम्र 32 वर्ष निवासी टिकरा मजरा सिरावल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
4.मोहन निषाद पुत्र श्याम निषाद उम्र 32 वर्ष निवासी भिटरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

एक अदद मो0स0 UP96K1497 HF Delex रंग काला सफेद बैगनी पट्टीदार

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

खुरहा बाबा मंदिर के पास छीबो रोड थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ,दिनाँक 02.06.2024 की शाम समय 16.30 बजे

सक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 06.05.2024 को थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम तीरमऊ से सूचना प्राप्त हुयी थी कि पुरानी नदी नाला जंगल तीरमऊ में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक राजापुर व हल्का उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह मय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, शव का पंचायतनामा भरकर शिनाख्त के प्रयास किये गये किन्तु शिनाख्त नहीं

हुयी शव का पोस्टमार्टम कराया गया । शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या करना पाया गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हल्का उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह की तहरीर पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 126/2024 धारा 302,201 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । घटना का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक राजापुर को घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया । विवेचना के क्रम में पारम्परिक साक्ष्यों के आधार दिनाँक 02.06.2024 को समय लगभग शाम 16.30 बजे खुरहा बाबा मंदिर के पास छीबो रोड से विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. रोहित निषाद पुत्र संतराम उम्र 20 वर्ष 2.दुर्गा प्रसाद पुत्र कुँवरवां उम्र 72 वर्ष 3. मैकू पुत्र रामभरोसे उम्र 32 वर्ष निवासीगण टिकरा मजरा सिरावल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 4. मोहन निषाद पुत्र श्याम निषाद उम्र 32 वर्ष निवासी भिटरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया । कड़ाई से पूंछतांछ की गयी तो अभियुक्त रोहित निषाद पुत्र संतराम निषाद उपरोक्त ने बताया कि दिनाकं 30.04.2024 को मैं अपने साथी मोहन निषाद के साथ इसी मोटर साइकिल से जाकर जनपद कौशाम्बी के थाना मुहम्मदपुर पाइसा के एक गांव की रहने वाली अपनी प्रेमिका को भगा कर लाया था तथा दिनाक 30.04.2024 को ही मै अपनी प्रेमिका व मोहन के साथ मथुरा ईंट भट्टे पर चला गया था । घर वालों के दबाब के कारण मैं अपनी प्रेमिका को लेकर मोहन के साथ अपने घर पर दिनांक 05.05.2024 को आया, घरवालों के सामाजिक दबाब व अन्य बातों के कारण रात करीब 02.30 बजे मैं अपने नये वाले मकान के पश्चिमी कमरे मे प्रेमिका को ले जाकर उसके दुपट्टे से उसका गला कसकर एक तरफ मैं व एक तरफ मोहन ने दुपट्टे को पकड कर कसकर हम दोनों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी । हत्या के बाद मेरा चचेरा भाई, चाचा व पड़ोसी मैकू व दुर्गा प्रसाद को बुलाकर हम लोगों ने कहा कि जो आप लोग चाह रहे थे हम दोनों लोगो ने कर दिया है, अब उसकी लाश को कहां ठिकाने लगाया जाये । जिस पर मेरा चचेरा भाई दुर्गा प्रसाद की पिकअप को लेकर आया । उसी पिकअप मे हम लोगों ने मिलकर शव को लाद कर बरूआ तीरमऊ होते हुये खदान के रास्ते से पुराने नदी के नाले में शव को फैंक आये थे । पिकअप रामबाबू चला रहा था तथा मैकू बगल में बैठा था मैं व मोहन व मेरा चाचा पीछे पिकअप में बैठे थे उसके बाद वापस आकर पिकअप की चाबी दुर्गा को देकर हम लोग अपने-2 घरो मे सो गये थे तथा शाम के समय मोहन के साथ सूरत भाग गये थे तथा घटना की जानकारी लेने के लिये वापस गांव आ गये थे । शव बरामदगी के व अभियुक्त रोहित के बयान के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 376डी,364,120बी भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार
2.निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार
3.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह
4.उ0नि0 श्री इमरान खान
5.आरक्षी प्रकाश मिश्रा
6.आरक्षी अजय मिश्रा

(3). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 03.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता

है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(4). आज दिनाँक 03.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में लोकसभा चुनाव -2024 के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी नियाज राईन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 148/2020 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त उमेश चन्द्र शाहू पुत्र दुलीचन्द्र शाहू निवासी रामपुर कल्याणगढ़ थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा व 2500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

(6). आज दिनाँक 03.06.2024 को जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनन्द एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में ज्येष्ठ मास की अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनन्द ने बताया कि हिंदू पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या 06 जून 2024 को पड़ रही है जो मेला 05 जून 2024 से 07 जून 2024 तक चलेगा मेला को देखते हुए तीन जोन तथा 12 सेक्टर में विभाजित किया गया है जिसमें जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नामित कर दिए गए हैं तथा पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है। जिला अधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई से कहा कि मंदाकिनी गंगा रामघाट पर बैरिकेडिंग, गोताखोर, नाव की व्यवस्था रहे जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल संस्थान से कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए परिक्रमा मार्ग रामघाट सहित सभी पार्किंग स्थलों पर टैंकर आदि के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें । उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी से कहा कि पूरे मेला क्षेत्र की अच्छी तरह से साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल शौचालय आदि की व्यवस्था रहे तथा विद्युत जाने के बाद जनरेटर की भी व्यवस्था की जाए रामघाट यूपीटी तिराहा परिक्रमा मार्ग खोही पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ खोया पाया केंद्र भी बनाया जाए एवं सीसीटीवी कैमरा भी ठीक कराया जाए रामघाट में चेंजिंग रूम भी बनाया जाए सभी कार्यों के लिए कर्मचारियों की शिफ्ट वार ड्यूटी लगाकर उसकी सूची अपर जिलाधिकारी को उपलब्ध कराए परिक्रमा मार्ग और रामघाट पर प्याऊ भी लगाया जाए। जिलाधिकारी ने पुलिस के अधिकारियों से कहा की परिक्रमा मार्ग पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए सभी प्वाइंटों पर तैनात रहकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए मेला को कुशल संपन्न कराया जाए उन्होंने कहा कि पार्किंग की जो दर सभी वाहनों की निर्धारित की गई है उसी के आधार पर वसूली कराई जाए प्राइवेट पार्किंग किसी भी दशा में नहीं संचारित होगी मेला के दौरान जीआरपी रेलवे से ट्रेन में यात्रियों की भीड़ के बारे में भी जानकारी करते रहें, यातायात प्रभारी से कहा कि सभी पार्किंग स्थलों पर पेयजल शौचालय प्रकाश टेंट आदि की व्यवस्था अच्छी तरह से कराया जाए पार्किंग स्थलों पर विद्युत

तार आदि को भी देख लिया जाए। जिलाधिकारी ने अभिविहीत अधिकारी को निर्देश दिए खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग परिक्रमा मार्ग की जलेबी वाली गली व रामघाट सहित पूरे मेला क्षेत्र में कराई जाए । अधीक्षण अभियंता विद्युत से कहा कि रामघाट व परिक्रमा मार्ग सहित पूरे मेला क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को देख ले विद्युत तार पोल आदि को अवश्य देखा जाए तथा विद्युत व्यवस्था भी निर्वाद्ध रूप से मेला के दौरान बनी रहे यह भी सुनिश्चित कर लें। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि स्वास्थ्य कैंप एंबुलेंस चिकित्सा दवाओं के साथ ओआरएस घोल की भी व्यवस्था की जाए, एआरएम रोडवेज से कहां की रेलवे स्टेशन से यूपीटी तक रोडवेज बसों का संचालन किया जाए स्टेशन मास्टर से ट्रेनों के समय की जानकारी भी कर ले, यातायात प्रभारी से कहा कि टेंपो, टैक्सी, ई रिक्शा पर ओवरलोडिंग पर विशेष ध्यान दें किसी भी वाहन पर ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए, जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डा पर किराया लिखा हुआ बैनर भी लगाए ।उन्होंने फायर सर्विस की व्यवस्था पर एफ एसो से कहा कि जिन प्वाइंटों में कराई जा रही है वहां पर व्यवस्था सुनिश्चित करें ट्रैफिक जाम की व्यवस्था पर अगर कोई गाड़ी रास्ते पर खराब होती है तो उसके लिए क्रेन की भी व्यवस्था कराई जाए, उन्होंने उप जिलाधिकारी कर्वी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर से कहा कि मेला के पूर्व सभी व्यवस्थाएं देख ले मध्य प्रदेश के अधिकारियों से भी समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं के बारे में तालमेल स्थापित करें कंट्रोल रूम के माध्यम से दोनों प्रांतों से श्रद्धालुओं की भीड़ का आदान-प्रदान भी करते रहें जिलाधिकारी ने सभी अधिकारी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह से करके मेला को सकुशल संपन्न कराए। जिलाधिकारी ने चौकी प्रभारी सीतापुर एवं खोही से कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए कि भीषण गर्मी को देखते हुए श्रद्धालु प्रातः 11बजे से सांय काल 04 बजे तक परिक्रमा ना करें एवं चौकी प्रभारी को यह भी निर्देशित किया की परिक्रमा मार्ग पर अतिक्रमण हटाए। जिला पूर्ति अधिकारी से कहा की परिक्रमा मार्ग में जलेबी वाली गली की दुकानों पर छापामारी की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रद्धालु पर्यटन बाहर से आ रहे हैं किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए हीट वेव की भी घटना कम होनी चाहिए वहां मेडिकल की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएं।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चन्द्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी कर्वी श्री सौरभ यादव, मानिकपुर श्री पंकज वर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल, अधिशासी अभियंता जल संस्थान श्री डीके सत्संगी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी श्री लाल जी यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

(7). आज दिनाँक 03.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी श्री भूपेश द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी श्री उमेशचन्द्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में मतगणना डियूटी में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण की ब्रीफिंग की गयी । इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को कहा गया कि सभी अपनी-अपनी डियूटी पर समय से पहुचेंगे, कोई भी अधिकारी/कर्मचारी डियूटी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करेगा । सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना-अपना डियूटी कार्ड लेकर डियूटी पर पहुंचेगे । गर्मी को देखते हुये सभी सावधानी रखें तथा समय-समय पर पानी पीते रहें । सभी कर्मियों के लिये नास्ता, पानी व खाने की व्यवस्था की गयी है, कोई अपना डियूटी पॉइन्ट नहीं छोड़ेगा । 100 मीटर के अन्दर किसी भी प्रकार के वाहन न जाने दिये जायें । सभी निर्धारित पार्किंग में ही अपना वाहन खड़ा करेंगे । कोई भी पुलिस कर्मी अपना मोबाइल फोन मतगणना स्थल के अन्दर नहीं ले जायेगी । मतगणना डियूटी में जनपद के लगभग 500 पुलिस कर्मी तथा 01 कम्पनी सीपीएमएफ व 01 कम्पनी पीएसी की डियूुटी लगायी गयी है ।

इस दौरान एडीएम न्यायिक श्री राजेश कुमार चौरसिया, उपजिलाधिकारी सदर श्री सौरभ यादव, उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद झा, उपजिलाधिकारी मानिकपुर श्री पंकज वर्मा, उपजिलाधिकारी मऊ श्री राकेश कुमार पाठक क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जय करन सिंह, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, चुनाव सेल प्रभारी श्री प्रदीप कुमार यादव, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(8). आज दिनांक 03.06.2024 को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक आनन्द तथा पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी संपन्न कराने को लेकर मतगणना स्थल राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर सीतापुर चित्रकूट का औचक निरीक्षण किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, मतगणना कल 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी

के अनुसार मतगणना सकुशल संपन्न कराई जाएगी। 236- चित्रकूट विधानसभा एवं 237- मानिकपुर विधानसभा की मतगणना के लिए 14-14 टेबल लगाई गई है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है।
निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चन्द्र निगम, न्यायिक श्री राजेश प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी कर्वी श्री सौरभ यादव, मऊ श्री राकेश कुमार पाठक, राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा, मानिकपुर श्री पंकज वर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

(9). आज दिनाँक 03.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की मतगणना के दृष्टिगत प्रभारी सर्विलांस/एसओजी श्री एम.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में सर्विलांस टीम द्वारा मतगणना स्थल रामायण मेला क्षेत्र के आस-आपस ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी ।